

FORM NO. |||

फर्दअहकाम
नियम (26)

अज अदालत

संतोष कुमारी बेनाम

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किस्म मु

मिसल न०

राजकार

97/2025

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्राजज

नम्बर व
अहकामजो
तामील मे

18/11/25

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमे प्रार्थी संतोष कुमारी पत्नी कालूलाल ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम सन्तोष पत्नी कालूलाल नि० करवाड नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 113, 114 में काश्तगार का नाम सन्तोष पत्नी कालूलाल दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भूअभिनिरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम सन्तोष पत्नी कालूलाल के स्थान पर संतोष कुमारी पत्नी कालूलाल दर्ज किया जावे। आज दिनांक 18/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

